प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या **99/2023)**

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ट्राई ने "भवनों या क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग फ्रेमवर्क संबंधी विनियम" पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 27 सितंबर, 2023 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज "भवनों या क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टीविटी के लिए रेटिंग फ्रेमवर्क संबंधी विनियम" पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

2. डिजिटल कनेक्टीविटी व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई है। सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्रों के डिजिटलीकरण में भारी वृद्धि ने दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया है, जिसने अर्थव्यवस्था, नवाचार, विज्ञान और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, निरंतरता, शासन-प्रणाली और जीवनशैली तक, हर एक चीज पर अपना प्रभाव डाला है। हाल के वर्षों में, डिजिटल कनेक्टीविटी की मांग में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। डिजिटल कनेक्टीविटी की महत्वपूर्ण भूमिका को महामारी के दौरान स्वीकार किया गया और सभी क्षेत्रों के उपभोगकर्ताओं में इसकी मांग में बढ़ोतरी देखी गई।

3. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विस्तृत अध्ययन करके और हितधारकों के लिए उचित निर्देश जारी करके देश भर में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी का काम करता है। बाहरी क्षेत्रों मे दूरसंचार सेवाओं के कवरेज में महत्वपूर्ण सुधार होने के बावजूद, खासकर भवनों/आवासीय या वाणिज्यिक क्षेत्रों के अंदर उपयोगकर्ताओं की सेवा की स्वीकार्य गुणवत्ता की मांग को अभी भी पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सका है।

4. भवनों के अंदर दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता को उपभोक्ता हितों की रक्षा करने का अभिन्न भाग है। ट्राई ने इस दिशा में कई नीतिगत कदम उठाए हैं, जिनमें *"डिजिटल कनेक्टीविटी के लिए भवनों एवं क्षेत्रों की रेटिंग"* पर 20 फरवरी, 2023 की सिफारिशें शामिल हैं। ये सिफारिशें एक सहयोगात्मक एवं स्व-धारणीय दृष्टिकोण के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए बेहतर डिजिटल कनेक्टीविटी सुनिश्चित करने के लिए भवन ढांचा की रेटिंग को प्रारंभ करने का प्रावधान करती हैं।

5. विनियामक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए ट्राई ने अपनी टिप्पणियों एवं विश्लेषण में कहा है कि, *".....ट्राई भवनों की रेटिंग के लिए एक उचित विनियामक फ्रेमवर्क लेकर आएगा.....।"*

6. भवनों के अंदर सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) में सुधार और सुगम उपभोक्ता अनुभव के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु इमारतों और क्षेत्रों के लिए रेटिंग फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के विनियम पर विमर्श करने के लिए "भवनें या क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग फ्रेमवर्क संबंधी विनियम" पर परामर्श पत्र जारी किया गया है।

7. यह पत्र डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग की जरुरत पर बल देता है जो न केवल उपभोक्ताओं की वर्तमान अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, बल्कि प्रौद्योगिकियों की प्रगति या उपयोगकर्ताओं की मांग में परिवर्तन के साथ भविष्य के विस्तार या अपग्रेडेशन के लिए भी तैयार करने के लिए है। यह परामर्श पत्र उपयोगकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं और ईकोसिस्टम के लिए रेटिंग फ्रेमवर्क के फायदों पर भी चर्चा करता है।

परामर्श पत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पालन की जा रही पद्धतियों और भारत में GRIHA या क्रेडिट रेटिंग जैसे रेटिंग फ्रेमवर्क के आधार पर 'डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग फ्रेमवर्क' का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है।

8. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर परामर्श पत्र डिजिटल कनेक्टीविटी हेतु रेटिंग फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के विनियम का मसौदा भी प्रस्तुत करता है।

9. *"भवनों या क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग फ्रेमवर्क संबंधी विनियम"* पर परामर्श पत्र, और विनियमों का मसौदा ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड किया गया है, जिसमें हितधारकों और दूरसंचार उपभोक्ताओं से टिप्पणियां मांगी गयी हैं। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से **10 नवंबर 2023** तक लिखित टिप्पणियां और **24 नवंबर 2023** तक प्रति-टिप्पणियां, यदि कोई हों, मांगी गई हैं।

10. टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (क्यूओएस-I), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को ईमेलः adv-qos1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती है । किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (क्यूओएस- I) से टेलीफोन नंबरः +91-11-2323-6516 पर संपर्क करें।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)
सचिव